



ELECTION COMMISSION OF INDIA

FORM-7

(See Rules 13(2) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

Acknowledgement No. _____

(To be filled by office)

Application for Objecting Inclusion of Name of Other Person / Seeking Deletion of Own Name/Seeking Deletion of Any Other Person's Name in Electoral Roll due to Death/Shifting.

To, The Electoral Registration Officer,Assembly / Parliamentary Constituency

I hereby object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll ☐I hereby request that entry relating to name of the person mentioned below is required to be deleted ☐I request that the entry relating to myself is to be deleted from Electoral Roll ☐

Particulars in support of my objection/deletion are given below:-

Particulars of the applicant

(a) Name			
(b) Surname(if any)			
(c) Part No.		(d) Serial No.	
(e) EPIC No. (If issued)			

Details of person inclusion of whose name is objected to/whose entry is to be deleted:

(a)Name			
(b)Surname(if any)			
(c) Part No.		(d)Serial No.	
(e)EPIC No.(If issued)			
(f) Reason(s) for objection/deletion:			

Declaration I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief. I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

Place.....

Date.....

Signature of Applicant.....

Remarks of Field Level Verifying Officer:

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of Shri / Shrimati/ Kumariobjecting to inclusion/
seeking deletion of name of Shri / Shrimati/ Kumari in the electoral roll
in Form 7 has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule
17/20/26(4)] are given below:

Place:

Date:

Signature of ERO

Seal of the ERO

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the
applicant on the address available in the record)

The application in Form 7 of Shri/Shrimati/Kumari.....

Postage Stamp
to be affixed by
the Electoral
Registration
Authority at the
time of dispatch

Current address where applicant is ordinarily resident

House No.

Street/Area/Locality

Town/Village

Post Office

Pin Code

District

State/UT

Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari.....has been
deleted from..... Part No..... of AC No.....

(b) rejected for the reason.....

Date:

Electoral Registration Officer

Address.....

Acknowledgement/Receipt

Acknowledgement Number _ _ _ _ _

Date _ _ _ _ _

Received the application in form 7 of Shri / Smt. / Ms. _____ [_____
Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

**भारत निर्वाचन आयोग****प्ररूप-7**

पावती सं०.....

(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(2) और 26 देखें)

मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन ।

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन

मैं निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं । ☐मैं निवेदन करता हूं नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है ☐मैं निवेदन करता हूं कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है ☐

मेरे आक्षेप या हटाए जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :

आवेदक की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

(घ) क्रम सं.

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)

उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है :

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

(घ) क्रम सं.

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई है)

(च) आक्षेप / हटाए जाने के कारण

घोषणा - मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं । वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

स्थान.....

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर.....

क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना)

श्री/श्रीमती/कुमारीजो का/की निवासी है, का प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने (नियम 18/20/26(4)) या उसके अनुसरण में) या नामंजूर करने (नियम 17/20/26(4)) या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं।

स्थान:

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा

लिए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभ्यर्थी के रिकार्ड पर उपलब्ध पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है।

श्री/श्रीमती/कुमारीका प्ररूप 7 में आवेदन।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं।

वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है।

मकान सं.

गली/क्षेत्र या परिक्षेत्र

नगर/गांव

डाक घर

पिन कोड

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

जिला

राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारीके नाम को निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं.क्रम सं. से हटा दिया है।

(ख)कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता.....

पावती/रसीद

पावती सं. _____

तारीख _____

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है।

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/ हस्ताक्षर